राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– प.20(6) (402)निमअ/अंकेक्षण/आडिट बैठक/2018–19/ 90223-55 जयपुर, दिनांक 27-6-18

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
समस्त

विषय :– आडिट समिति की बैठक के क्रम मे महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु केम्प आयोजित करने बाबत।

राज्य स्तरीय आडिट कमेटी की बैठक का आयोजन प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में अतिशीघ्र होना सम्भावित है। जिसका एजेण्डा निम्न प्रकार है:–

1. महालेखाकार की प्रथम अनुपालनाओं की बकाया स्थिति
2. महालेखाकार के बकाया आक्षेपों की स्थिति
3. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के बकाया प्रारूप प्रालेख की स्थिति
4. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के बकाया आक्षेपों की स्थिति
5. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अनुसार बकाया स्थाई अग्रिम की स्थिति

आडिट समिति की बैठक में प्रधान महालेखाकार/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से संबंधित आक्षेपों की अनुपालना की समीक्षा की जानी है। आक्षेपों की ठोस अनुपलना तैयार की जाकर उन्हें निरस्त कराये जाने के क्रम में निदेशालय में केम्प का आयोजन किया जा रहा है।

आपको निर्देश प्रदान किये जाते है कि निर्धारित किये गये कार्यक्रम के अनुसार आपके कार्यालय के समस्त बकाया आक्षेपों की ठोस एवं नवीनतम अनुपालना मय पूर्ण दस्तावेजों के (सॉफट कोपी सहित) आप स्वयं लेखा कर्मी के साथ निदेशालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें। उपस्थित न होने को गम्भीरता से लिया जावेगा। पी.डी. खाते के विभिन्न योजनाओं में शेष की सूचना भी लावें। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के संभागीय कार्यालय में आपके कार्यालय में बकाया अस्थाई अग्रिम शेष /आक्षेपों की अध्यतन स्थिति का मिलान कर प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करें।

केम्प के लिए प्रस्ताावित कार्यकम निम्नानुसार है:–

क्र.स.	दिनांक	नाम जिला
1	05.07.2018	कोटा, बून्दी,बारा, झालावाड
2	06.07.2018	जैसलमेर, बाडमेर, पाली
3	09.07.2018	अजमेर, भीलवाडा, टोंक, नागौर
4	10.07.2018	जोधपुर, सिरोही, जालौर
5	11.07.2018	भरतपुर, धौलपुर,करौली, सवाई माधोपुर
6	12.07.2018	बीकानेर, श्रीगंगानगर,हनुमानगढ
7	13.07.2018	दौसा,बांसवाडा,डूगरपुर, प्रतापगढ,अलवर, झुन्झुनु
8	16.07.2018	उदयपुर,राजसंमद,चित्तौड़गढ,जयपुर, सीकर

आयुक्त
महिला अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प.20(6) (402)निमअ/अंकेक्षण/आडिट बैठक/2018–19/ 90256-57 जयपुर, दिनांक 28.6.18 27-6-18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निदेशक महिला अधिकारिता को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 17.07.2018 तक निदेशालय निरीक्षण विभाग एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा गठित समस्त आक्षेपों की ठोस अनुपालना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
2. ए.सी.पी.(उपनिदेशक) महिला अधिकारिता, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

(नीति धीमन)
वित्तीय सलाहकार